



राजस्थान सरकार



राजस्थान सरकार

श्री हरि शंकर भाभड़ा
उप मुख्यमंत्री (वित्त), राजस्थान
का
भाषण

जो उन्होंने

राजस्थान विधान सभा में वर्ष 1997-98 के बजट अनुमान
प्रस्तुत करते समय दिया ।

जयपुर, मार्च 1997

श्रीमन्

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमान एवं 1997-98 के आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. यह वर्ष देश की आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष है। वर्षों पहले हमने प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के सपने देखे थे। आजादी मिलने के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से इन सपनों को पूरा करने का हमें अवसर मिला। आजादी के पहले राजस्थान की जो स्थिति थी उससे माननीय सदस्य परिचित है। प्रदेश में न कोई उद्योग धन्धे थे, न ही किसी प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर था। सिंचित क्षेत्र भी नगण्य सा था। बिजली, शिक्षा, चिकित्सा व सड़कों आदि की अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी। आज राज्य की परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब राजस्थान की गिनती देश के तेजी से आगे बढ़ रहे राज्यों में होती है। प्रदेश के विकास में कई बाधायें आईं लेकिन प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की उत्कट अभिलाषा मन में संजोये पूरे



विश्वास एवं साहस से हम उन बाधाओं को पार करते रहे। हमने किसानों को उनकी जोत का हक दिया तथा क्रान्तिकारी भूमि सुधारों को लागू किया। यह सदन भूमि सुधारों के लिए किये गये हमारे संघर्ष एवं निर्णयों का साक्षी है। माही, चम्बल एवं इन्दिरा गाँधी नहर सरीखी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की हमने क्रियान्विति की, आर्थिक विकास का एक मजबूत ढाँचा खड़ा किया, प्रदेश के सुदूर गाँवों तक विद्युत तंत्र का विस्तार किया, हजारों की संख्या में शिक्षण संस्थाएँ तथा चिकित्सालय खोले एवं हजारों गाँवों को सड़कों से जोड़ा, राजस्थान के पक्ष को मजबूती से केन्द्र के सामने रखा और प्रदेश को अपना हक दिलवाने का प्रयास किया।

3. सदन के माध्यम से मैं उन सभी दिवंगत राजनेताओं तथा स्वतन्त्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनके नेतृत्व में हमने आजादी की लड़ाई लड़ी तथा विकास का पथ प्रशस्त किया। मैं इस सदन के उन सभी भूतपूर्व सदस्यों का भी स्मरण करना चाहूँगा जिन्होंने समय-समय पर इस सदन



के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया तथा अपने सुझाव देकर प्रदेश के विकास में योगदान दिया । सदन में सामंजस्य एवं सद्भावना की संस्कृति स्थापित करने में सभी विधानसभा अध्यक्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर उनका भी स्मरण करना चाहूँगा । यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश को प्रारम्भ से ही सबल राजनैतिक नेतृत्व मिलता रहा । इस अवसर पर भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों स्वर्गीय सर्वश्री हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खाँ एवं हरिदेव जोशी का स्मरण एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री हीरालाल देवपुरा, श्री जगन्नाथ पहाड़िया एवं श्री शिवचरण माथुर का भी उल्लेख करना चाहूँगा। स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया का आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में योगदान हमारे लिए चिरस्मरणीय रहेगा । इस सदन के नेता मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत की राजनैतिक कुशलता, राजस्थान के हकों के लिये सतत संघर्ष करने की तत्परता, प्रदेश के त्वरित विकास की आतुरता एवं जन समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता की भावना से यह सदन परिचित है । वे



अमेरिका से 2 माह पूर्व कठिन हृदय चिकित्सा करवाकर वापिस लौटे हैं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।

4. भारत सहित सभी देशों का आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से विकास की नई सम्भावनाएँ पैदा हो रही हैं। देश के सभी राज्यों में इन सम्भावनाओं का पूरा लाभ उठाने की होड़ लगी हुई है। हमें भी इन नयी सम्भावनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिये। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये दूरदृष्टि एवं विकास का दीर्घकालीन परिदृश्य होना आवश्यक है। इसके लिये हमने राजस्थान विकास परिदृश्य-2011 की परिकल्पना की है। इसका एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। 2011 तक प्रदेश के विकास का यह स्वप्न हम सब का स्वप्न होगा। यह आलेख राज्य के उज्ज्वल भविष्य के दिशा संकेत के रूप में होगा। अगले 15 वर्षों में राजस्थान को देश के प्रथम पंक्ति के राज्यों में प्रतिस्थापित करने की हमारी अभिलाषा है। 2011 ईस्वी तक 7 करोड़ 50 लाख की सीमा तक प्रदेश



की जनसंख्या का स्थायित्व करने का सरकार प्रयास करेगी। इसके लिये परिवार कल्याण सेवाओं के सामाजिक विपणन, जनसंख्या स्थायित्व के लिये स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बेहतर मातृ एवं शिशु कल्याण व्यवस्था, कम आयु के विवाहों पर रोकथाम, शिशु पोषाहार, महिला नियोजन आदि क्षेत्रों में विशेष काम करना होगा। इस सदन ने नगरपालिकाओं, पंचायतीराज संस्थाओं व सहकारी संस्थाओं के चुने हुए सदस्यों के लिये छोटे परिवार की बाध्यता सम्बन्धी कानून बनाकर अन्य राज्यों के लिये महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है।

5. पिछले पाँच वर्षों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विस्तार आदि के फलस्वरूप प्रदेश में साक्षरता के प्रसार की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मेरा विश्वास है कि 2001 की जनगणना में प्रदेश की साक्षरता का स्तर 55 से 60 प्रतिशत तक पहुंचेगा तथा



2005 तक हम शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण से उत्पन्न सामाजिक विकास को, राजकीय पदों पर महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण देकर, आर्थिक आयाम दिया गया है।

6. औद्योगिक उत्पादन एवं औद्योगिक नियोजन की दृष्टि से 2011 ईस्वी तक राज्य का देश में विशिष्ट स्थान होगा। सीमेन्ट, पेट्रोरसायन, सॉफ्टवेयर, वस्त्र, रसायन, सेवा, कृषि उद्योग आदि विशेष रूप से विकसित होंगे।

7. भारत सरकार ने अभी हाल ही में 6 कम्पनियों को राज्य में खनिज तेल तथा गैस के सर्वेक्षण एवं दोहन के लिये अनुमति दी है। अब तक किये गये सर्वेक्षण के आधार पर राज्य में पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल व गैस मिलने की स्पष्ट सम्भावना दिखती है। यदि ऐसा होता है तो अगले 5 वर्षों में खनिज तेल व गैस के क्षेत्र में राजस्थान की देश में विशेष पहचान होगी।



गणराज्य

इन सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पृथक् रूप से एक पैट्रोलियम निदेशालय के गठन करने का निर्णय लिया है।

8. राज्य में पानी की कमी है। विभिन्न कार्यों के लिये पानी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए जल का कुशल प्रबन्ध आवश्यक है। अतः जल का संरक्षण, नियंत्रित दोहन एवं कुशल उपयोग, अगले वर्षों में हमारी नीति के प्रमुख बिन्दु होंगे। इसके लिये सरकार द्वारा जल नीति बनाई जा रही है।

9. 2011 ईस्वी तक प्रदेश में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में निवास करेंगे। नगरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए इनमें सामुदायिक सुविधाओं, परिवहन, आवास आदि की समुचित व्यवस्था आवश्यक है। राज्य के प्रमुख शहरों के विकास के लिये एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु एक परियोजना बनाई जा रही है। विभिन्न राजकीय सुविधाओं का पूरा प्रतिफल न ले पाने के कारण नगरपालिकाओं के साधन सीमित हो गये हैं। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हमें उनके साधन बढ़ाने होंगे,



निर्णयों में अधिक स्वायत्ता देनी होगी तथा उनके प्रबन्ध में कुशलता लानी होगी।

10. सूचना तकनीकी (Information Technology) में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में आगामी वर्षों में व्यापक परिवर्तन होंगे। सरकारी दफ्तरों में कार्य निस्तारण का तरीका बदलना होगा तथा संगठन संरचना में भी व्यापक परिवर्तन करने होंगे। परिवहन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग एवं कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सरकारी विभागों के कार्य का कम्प्यूटरीकरण करने की गति बढ़ानी होगी। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे भी 'राजस्थान विकास परिदृश्य-2011' के लिये अपने बहुमूल्य सुझाव सरकार को दें। अगले वर्ष से लागू होने वाली नवीं पंचवर्षीय योजना 'राजस्थान विकास परिदृश्य-2011' को साकार बनाने का एक महत्वपूर्ण चरण होगी। इस योजना के माध्यम से हम विकास की अपनी भावी आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे।



11. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज राजस्थान की गिनती देश के सुशासित एवं विकासशील प्रदेशों में होती है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आठवीं योजना की उपलब्धियों का विस्तृत उल्लेख किया था। मैं उनको पुनः दोहराना नहीं चाहता। प्रदेश की आठवीं पंचवर्षीय योजना हमारी विकास यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इस योजना से राजस्थान धीमी विकास गति वाले प्रदेशों की श्रेणी से निकलकर तेज विकास गति वाले प्रदेशों की श्रेणी में आ गया है। 11 हजार 5 सौ करोड़ रुपये की महती योजना का हमने न केवल पूरी तरह पोषण किया है बल्कि उसे 12 हजार 1 सौ करोड़ रुपये तक बढ़ाया भी है। इसके फलस्वरूप प्रदेश में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। बारानी क्षेत्र के किसानों को जलग्रहण विकास कार्यक्रम का विशेष लाभ दिया गया है। तिलहन, कपास, धनिया, जीरा, मसाले, फलों आदि के उत्पादन में वृद्धि होने से कृषि के वाणिज्यीकरण का रास्ता खुला है।



12. सड़क नीति के अन्तर्गत 1 हजार की आबादी के सभी गाँवों एवं पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। आशा है अगले 2 वर्षों में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई, वन विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। अपना गाँव अपना काम, संयुक्त वन प्रबन्ध समितियाँ, तीस जिले तीस काम, सहभागी नगर विकास, राजलक्ष्मी, विकल्प सरीखी योजनाओं के माध्यम से जनभागिता को बढ़ावा दिया गया है। विभिन्न रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्मर्जितियों का सृजन किया गया है। गोपाल, उद्यानसखा, सरस्वती, जनमंगल सरीखी अभिनव योजनाओं के द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर समुदाय आधारित आवश्यक कौशल एवं दक्षता सृजित की गई। माननीय सदस्यों के माध्यम से आठवीं योजना की विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिये मैं राज्य की जनता को बधाई प्रेषित करता हूँ।



13. पिछले वर्षों की उपलब्धियों से हमारा आत्म विश्वास बढ़ा है लेकिन हमें भविष्य की चुनौतियों का अहसास भी है। जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है, गरीबी उन्मूलन की देश में सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत वर्ष 1977 में अंत्योदय योजना के द्वारा हुई। गरीब को श्रीगणेश मानकर विकास के अर्थ का प्रथम पात्र बनाने का अंत्योदय योजना का उद्देश्य था। राज्य में मुख्य मंत्री, श्री भैरोसिंह शेखावत के नेतृत्व में बनी सरकारों द्वारा प्रारम्भ की गई सभी योजनाओं के पीछे अंत्योदय की अवधारणा ही प्रमुख रही है। अंत्योदय कार्यक्रम को भारत सरकार ने सारे देश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से प्रतिस्थापित किया। अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर हमने जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थानीय जनजातियों के लिये ग्रामस्तरीय विभिन्न राजकीय पदों में 45 प्रतिशत का आरक्षण किया। बारानी क्षेत्र के गरीब किसानों के लिये जलग्रहण विकास की महती परियोजना प्रारम्भ की गई। इस कार्यक्रम ने गरीब किसानों के हित साधन करते हुए पिछले 4 वर्षों से



निरन्तर राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। बारानी खेती पर लगान से मुक्ति, सहकारी बैंकों के ऋणों में करोड़ों रुपये की राहत, बिक्री कर में कमी, ग्रामीण विकास विनियोजन में अभूतपूर्व वृद्धि, छोटे-छोटे गाँवों में प्राथमिक शालाओं का विस्तार, गरीब छात्रों के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिये मासिक भत्ते में वृद्धि, पेयजल, उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों के नियोजन आदि सभी निर्णय सरकार द्वारा गरीबों के विकास का ध्यान रखकर ही समय-समय पर लिये गये हैं।

14. आजादी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर गरीबों तथा कमज़ोर वर्गों के विकास के लिये सरकार की कटिबद्धता को दोहराते हुए मैं राज्य के अगले वर्ष के बजट को इन वर्गों के लिये समर्पित करने की घोषण करता हूँ। विभिन्न राजकीय योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ कमज़ोर वर्गों को विशेष रूप से पहुँचाने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे ताकि समता के आधार पर उनको सामाजिक एवं आर्थिक न्याय मिल सके।



सरकारी

15. जनता पर कर लगाने की हमारी क्षमता सीमित है इसलिये योजना के पोषण हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से ऋण लेना हमारे लिये अपरिहार्य हो जाता है। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत या सकल घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में हमारा ऋणभार देश के ऋणभार से कम है। वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार का ऋणभार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 53.4 प्रतिशत है जबकि हमारा ऋणभार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 36.4 प्रतिशत है। इसी प्रकार वर्ष 1996-97 के संशोधित बजट अनुमानों में भारत सरकार द्वारा देय ब्याज की राशि उनकी राजस्व प्राप्तियों की 44.7 प्रतिशत है जबकि हमारी ब्याज की अदायगी राजस्व प्राप्तियों का केवल 19.4 प्रतिशत है। कई विधायकों ने राज्य के बढ़ते ऋणभार के बारे में समय-समय पर चिन्ता व्यक्त की है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। सरकार ने राज्य के ऋणभार को सीमित करने का संकल्प लिया है। अलग से ऋणों के भुगतान के लिये एक विशेष कोष बनाने के प्रस्ताव भी



मैं माननीय सदस्यों के समक्ष रखूँगा। मुझे विश्वास है कि सरकार का यह निर्णय अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय होगा।

16. यदि राज्य के ऋणभार को सीमित रखना है तो या तो हमें विकास की गति धीमी करनी होगी या राज्य की आय के साधन बढ़ाने होंगे। माननीय सदस्य नहीं चाहेंगे कि राज्य के विकास की गति धीमी हो, पर्याप्त मात्रा में शिक्षण संस्थाएँ तथा चिकित्सालय न खुलें, सड़कें, बाँध आदि न बनें, उद्योग धन्धे न लगें तथा राज्य में रोजगार के अवसर न बढ़ें। सिंचाई की वर्तमान दर 1982 में तय की गई थी। तब से बाँधों के निर्माण तथा संधारण व्यय में काफी वृद्धि हुई है। तालाबों व बाँधों से मिलने वाली आय पर्याप्त नहीं होने के कारण इन योजनाओं के रख-रखाव का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। इसलिये हमें ऋण लेकर इन योजनाओं का संधारण करना पड़ता है। उचित संधारण के अभाव में इनकी उपयोगिता अवधि कम हो रही है। घरों में आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल की वर्तमान दर वर्ष 1987 में तय की गई थी। पेयजल



गणतन्त्र भारत

शुल्क से प्राप्त आय से इन योजनाओं का बिजली का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। पुराने पाइप बदलने, जले हुए पम्प या मोटरों को बदलने आदि का कार्य इस आय से सम्भव नहीं है। जमीन में दबे पानी के पाइप में जंग लग जाने से छेद हो जाते हैं जिनसे दूषित जल का इनमें रिसाव हो जाता है जिसके कारण कई बीमारियाँ हो जाती हैं। यही हाल बिजली का है। नये उपभोक्ताओं के लिए हम बिजली, सिंचाई, पेयजल आदि की सुविधा का विस्तार तथा गुणात्मक सुधार तभी कर पायेंगे जब वर्तमान उपभोक्ता उनको मिलने वाली सुविधाओं का कम से कम संधारण लागत के बराबर प्रतिफल सरकार को अदा करें। राज्य या उसके किसी अंग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का प्रतिफल लेना मेरी दृष्टि से किसी राजनैतिक विवाद का विषय नहीं है। पेयजल तथा सिंचाई की दरों पर विचार करने के लिये सरकार एक समिति बनायेगी तथा इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिये जायेंगे।



17. विकास हेतु राज्य के पास पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण निवेश हेतु निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम निजी क्षेत्र की उत्पादकता एवं सरकारी क्षेत्र की सामाजिक उद्देश्यपरकता के सही मिश्रण से महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन एवं सड़क निर्माण के क्षेत्र में 'निर्माण, संधारण एवं हस्तान्तरण' के आधार पर हमने निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिए हैं।

18. चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सरकार ने एक नीति लागू की है। ऐसी ही एक नीति शिक्षण संस्थाओं के लिये बनाई जा रही है जिसे अगले शिक्षा सत्र में लागू किया जायेगा।

नवी पंचवर्षीय योजना :

19. राष्ट्र की नवी पंचवर्षीय योजना का approach paper अभी भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस पर यद्यपि राष्ट्रीय विकास परिषद्



में चर्चा हो चुकी है परन्तु इसे अन्तिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। मुझे माननीय सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि शासन ने राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 25 हजार करोड़ रुपये रखना प्रस्तावित किया है। नवीं पंचवर्षीय योजना के लिये सरकार ने निम्नांकित लक्ष्य चिह्नित किये हैं :-

- (i) आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में शुरू किये गये कार्यों को पूर्ण करना।
- (ii) अब तक संधारित परिसंपत्तियों का आधुनिकीकरण कर उनका सुदृढ़ीकरण करना।
- (iii) समाज के पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना।
- (iv) सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- (v) राज्य के सीमित जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग।
- (vi) अधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु सिंचाई



योजनाएँ, पशुधन विकास, पर्यटन, खनिज, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग आदि को विकसित करना।

- (vii) शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य एवं रोजगार क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना ।
- (viii) आर्थिक विकास हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास ।
- (ix) मानव संसाधन तथा तकनीकी दक्षता का विकास ।
- (x) नियंत्रित प्रोत्साहन ।

वार्षिक योजना :

20. आगामी वर्ष की वार्षिक योजना का आकार 3 हजार 5 सौ करोड़ रुपये रखा गया है। चालू वर्ष की योजना का काफी व्यय गैर-आयोजना मदों में स्थानान्तरित हो जाने से नये निवेश की सम्भावनाएं बढ़ी हैं।

आर्थिक समीक्षा :

21. राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत कुछ वर्षों पर निर्भर करती है फिर भी आठवीं पाँचवर्षीय योजना काल में किये गये अधिक निवेश के आशातीत



परिणाम आने लगे हैं। कृषि, उद्योग व अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति के फलस्वरूप त्वरित अनुमानों के आधार पर वर्ष 1996-97 में प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 44 हजार 881 करोड़ रुपये आँका गया है एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद 39 हजार 460 करोड़ रुपये होने की सँभावना है जो पिछले वर्ष से 17.07 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 7992 रुपये आँकी गयी है जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.86 प्रतिशत अधिक है। इस महती उपलब्धि के लिये मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ।

केन्द्रीय करों में राज्यों की भागीदारी – एक वैकल्पिक योजना:

22. निगम कर में राज्यों को हिस्सा दिये जाने की मांग मुख्यमंत्रीजी ने निरन्तर विभिन्न मंचों पर की है। इसी प्रकार की अनुशंसा सरकारिया कमीशन ने भी की है। दसवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्र व राज्यों के बीच भागीदारी प्रणाली के सम्बन्ध में एक वैकल्पिक योजना सुझाई गई है। इस



योजना के अन्तर्गत केन्द्र के सकल कर राजस्व (स्टाम्प डियूटी, मेडीसिनल एवं टॉयलेट उत्पादों पर उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, पारेषण कर (Consignment Tax) एवं अधिभारों को छोड़कर) का 29 प्रतिशत भाग राज्यों को आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सम्पदा शुल्क और रेल्वे यात्री किराये पर कर के एवज में अनुदान के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने इस वैकल्पिक व्यवस्था को सिद्धान्तः स्वीकार करते हुये यह सुझाया है कि 29 प्रतिशत के स्थान पर राज्यों का हिस्सा 33 प्रतिशत होना चाहिए। यद्यपि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 29 प्रतिशत की भागीदारी को स्वीकार कर लिया है परन्तु इस विषय पर अन्तर्राजीय परिषद में चर्चा होने के बाद ही समुचित निर्णय लिया जाना चाहिये। इस वैकल्पिक व्यवस्था के अपनाये जाने से एक ओर जहाँ राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय करों में उछाल (buoyancy) का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर केन्द्र को कर ढाँचे को सुसंगत बनाने की छूट मिल सकेगी।



राज्य वित्त आयोग :

23. राजस्थान उन गिने चुने राज्यों में से है जिसने राज्य वित्त आयोग की स्थापना में पहल की और उसकी अनुशंसा के अनुसार पिछले वर्ष पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान दिया है। उसी क्रम में वर्ष 1997-98 के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 59 करोड़ 50 लाख रुपये एवं नगरीय स्थानीय निकायों को 17 करोड़ 15 लाख रुपये दिया जाना प्रस्तावित है।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ :

24. विकास कार्यों के लिए वित्तीय साधनों को जुटाने में विदेशी सहायता का महत्वपूर्ण योगदान है। सातवीं योजना में कुल 98 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता प्राप्त हुई थी इसकी तुलना में आठवीं योजना में लगभग 1050 करोड़ रुपयों की विदेशी सहायता प्राप्त की गई। यह अपने आप में एक बड़ा



कीर्तिमान है। यह सहायता मुख्यतया सड़क निर्माण, कृषि, तकनीकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, वन विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में ली गई। राज्य के विकास के लिये नवी योजना में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध होने का अनुमान है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा :

25. शिक्षा की दृष्टि से राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा के विनियोजन में निरन्तर वृद्धि की है। अगले वर्ष के योजना बजट में शिक्षा पर 216 करोड़ 85 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। शिक्षा विभाग में आठवीं योजना में प्रारम्भ किये गये नये कार्यों को चालू रखने पर आगामी वर्ष 229 करोड़ 89 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय होंगे जिसका प्रावधान गैर आयोजना मद में रखा गया है।

26. आगामी वर्ष में 500 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। 400 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा।



178 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 100 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा। उक्त विद्यालयों को खोले जाने एवं क्रमोन्नत करने पर लगभग 13 करोड़ 66 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। सरकार ने शिक्षा प्रसार की दृष्टि से पिछड़ी पंचायत समितियों को चिन्हित करने का कार्य प्रारम्भ किया है। ऐसी पंचायत समितियों में शिक्षण संस्थाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

27. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1997-98 से झुंझुनू एवं राजसमन्द जिलों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु इन जिलों में अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

28. राज्य में संचालित शिक्षाकर्मी योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु पश्चिमी राजस्थान में आंचलिक कार्यालय की स्थापना की जायेगी एवं 600 नवीन



भारतीय लोक

शिक्षाकर्मी विद्यालय खोले जायेंगे । शिक्षाकर्मी योजना को 15 नये विकास खण्डों में लागू किया जायेगा । इसी प्रकार लोक जुम्बिश परियोजना का 17 नये विकास खण्डों में विस्तार किया जायेगा । अगले वर्ष के अन्त तक शिक्षाकर्मी योजना कुल 143 विकास खण्डों व लोक जुम्बिश योजना 75 विकास खण्डों तक पहुँच जायेगी ।

29. सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों को अन्य राज्यों के शैक्षणिक नवाचार का ज्ञान कराने हेतु शैक्षणिक भ्रमण की योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है ।

30. मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि पूर्व घोषणा के अनुसार राज्य के सभी जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम लागू कर दिया गया है । इनमें से 7 जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है ।

31. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 25 जिला मुख्यालयों पर बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा तथा 6 संभागीय मुख्यालयों पर



निर्माणाधीन छात्रावासों को आगामी सत्र में प्रारम्भ किया जायेगा। इन पर 1997-98 में लगभग 2 करोड़ 62 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रत्येक बालिका को 1 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष दो वर्षों के लिए दी जायेगी।

32. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था तथा बालिकाओं के लिये पृथक से शौचालयों के निर्माण कराये जाने पर 8 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है।

33. ग्रामीण क्षेत्र की पढ़ी लिखी महिलाओं द्वारा अपने आँगन में शाला चलाने के उद्देश्य से सरस्वती योजना संचालित है। इसका अच्छा लाभ हुआ है। अगले वर्ष 500 नवीन सरस्वती शालायें चालू करने का प्रस्ताव है जिसपर 50 लाख रुपये व्यय होंगे।



उच्च शिक्षा :

34. आगामी वर्ष नागौर में महिला महाविद्यालय एवं मालपुरा तथा सागवाड़ा में सह शिक्षा महाविद्यालय प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
35. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में आगामी वर्ष बॉलीटेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

तकनीकी शिक्षा :

36. राज्य के 21 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु एवं नये पॉलीटेक्नीक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ करने पर अगले वर्ष 10 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है। अगले वर्ष एक पॉलीटेक्नीक तथा तीन नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएँगे तथा चार लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त खैरवाड़ा, सागवाड़ा, नाथद्वारा, सिरोही व टोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण का प्रस्ताव है।

विद्युत् :

37. राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने हेतु सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। पड़ोसी राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदकर किसानों को अधिक समय तक बिजली दी जा रही है। कोटा तापीय यंत्र की पाँचवीं इकाई के खराब होने तथा उत्तरी ग्रिड में अन्ता, दादरी आदि कई संयंत्रों में कोयले व गैस की कमी व तकनीकी खराबी के कारण बिजली का कम उत्पादन होने से विद्युत् आपूर्ति में विशेष कठिनाई हुई। रावतभाटा स्थित राजस्थान अणु शक्ति परियोजनाएँ लम्बे समय से बन्द हैं। कोटा की पाँचवीं इकाई अब चालू हो गई है। गैस भी पूरी मिलने लगी है। दोनों अणु शक्ति इकाईयों का पुनः चलना अगले एक वर्ष में संभावित है। इससे निकट भविष्य में विद्युत् आपूर्ति में सुधार होगा।

38. विद्युत् उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए सूरतगढ़ तापीय परियोजना की 250 मेगावाट की प्रथम इकाई का कार्य तेज गति से चल रहा



है। इस इकाई को अगले नवम्बर में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

39. प्रसारण क्षेत्र में 220 के.वी. का एक सब स्टेशन बीकानेर में माह नवम्बर, 96 में चालू कर दिया गया है, जिससे उस क्षेत्र में बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। साथ ही कांकरोली, नागौर एवं हनुमानगढ़ में भी 220 के.वी. के सब-स्टेशन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। खीवसर का सब-स्टेशन दिसम्बर, 96 में आरम्भ कर दिया गया है। इसी प्रकार 132 के.वी. के लालगढ़ कैन्ट, धोरीमन्ना, सायला, रामपुरा डाबरी, सावा, नावां सिटी व पुंगल रोड़ सब स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है। इनके चालू होने पर प्रसारण प्रणाली और सुदृढ़ होगी।

40. विद्युत् की उपलब्धता और आपूर्ति के अन्तर को पाटने के लिए सरकार ने गत तीन वर्षों में काफी प्रयास किये हैं जिनके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदा प्रणाली के आधार पर विद्युत् मण्डल ने विभिन्न कम्पनियों के साथ द्रव ईंधन के 2646 मेगावाट विद्युत् क्रय के



भारत सरकार

अनुबन्ध किये हैं। केन्द्र सरकार ने 1415 मेगावाट विद्युत् गृहों के लिये तरल ईधन का आवंटन कर दिया है इसमें राज्य का देश में दूसरा स्थान है। हमने विभिन्न निवेशकों के लिये ईधन के आवंटन के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवा दिये हैं। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत् गृह के लिये 2×250 मेगावाट बरसिंगसर परियोजना के लिये मैसर्स हिन्दुस्तान विद्युत कॉरपोरेशन के साथ 16 दिसम्बर, 1996 को विद्युत् क्रय अनुबन्ध किया गया है। 2×300 मेगावाट की जालीपा व 2×300 मेगावाट की कपूरड़ी परियोजना के लिये मैसर्स वेस्ट पावर का चयन किया गया है। आर.पी.जी. एन्टरप्राइजेज के साथ 788.5 मेगावाट के नेष्ठा आधारित विद्युत् गृह से विद्युत् क्रय का अनुबन्ध 29 अगस्त, 1996 को किया गया था तथा इस संयंत्र की आधारशिला 5 मार्च, 1997 को रखी गई है। 2×250 मेगावाट सूरतगढ़ द्वितीय चरण के लिये संशोधित मूल्य निविदाये मांगी गई थीं जिनका आकलन किया जा रहा है।



41. विद्युत् मण्डल की कार्यकुशलता में सुधार के लिये मण्डल को कम्पनीज एक्ट के तहत एक निगम बनाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त एक स्वतन्त्र राज्य विद्युत् नियंत्रक आयोग भी बनाया जायेगा।
42. राज्य विद्युत् मण्डल के लिये आगामी वर्ष 1997-98 के लिये 767 करोड़ 39 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें 220 के.वी. के तीन सब स्टेशन एवं 132 के.वी. के आठ सब-स्टेशन लगाये जाना प्रस्तावित है। उप प्रसारण क्षेत्र में 33 के.वी. की 500 किलोमीटर लाईनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 700 ग्रामों का विद्युत् मण्डल एवं 50 ग्रामों का रेडा के माध्यम से विद्युतीकरण का एवं 20 हजार कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि :

43. बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से आगामी वर्ष में 15 सौ हैक्टेयर क्षेत्र तथा फव्वारा सिंचाई पद्धति से 50 हजार हैक्टेयर भूमि तथा 21 हजार किसानों को



लाभान्वित किया जायेगा। 20 लाख मीटर सिंचाई पाइप लाईन हेतु 20 हजार किसानों को सहायता दी जायेगी ताकि सतह पर की जाने वाली सिंचाई में जल के रिसाव का अपव्यय रोका जा सके। इन कार्यों हेतु किसानों को 40 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

44. कृषि विस्तार कार्यक्रमों को बल देने के लिये 145 किसान सखा प्रशिक्षित किये जायेंगे। कृषि सेवा केन्द्रों के निर्माण, किसान सखा प्रशिक्षण एवं अन्य नवीन विस्तार गतिविधियों पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय करने का अनुमान है।

45. प्रमाणिक बीजों की बेहतर उपलब्धि के लिये 500 गाँवों में खुदरा बीज विक्रय केन्द्र खोले जायेंगे।

46. राज्य में समस्याग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये नवीं पंचवर्षीय योजना में एक नया कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। इस के लिये अगले वर्ष एक करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।



47. पर्यटक केन्द्र होने के साथ-साथ पुष्कर हमारी आस्था का केन्द्र भी है। वर्षों से पुष्कर सरोवर में जमी मिट्टी निकालकर सरोवर को गहरा करने का विशेष प्रयास पिछले वर्ष सरकार व नागरिकों के सहयोग से किया गया था। इस क्षेत्र में जल ग्रहण विकास कार्य हेतु कनाडा सरकार की सहायता से एक नई परियोजना पर कार्य अगले वर्ष प्रारम्भ कर दिया जायेगा। बारानी क्षेत्रों में जल ग्रहण विकास कार्यक्रम पर अगले वर्ष 115 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

48. कृषि विपणन मंडल के माध्यम से किनू, संतरे आदि कृषि जिन्सों के नियर्ति का कार्य पिछले वर्ष प्रारम्भ किया गया था। राज्य से मसालों के नियर्ति में भी सरकार उत्प्रेरक का कार्य करना चाहती है ताकि नियर्ति की संभावना खुलने पर किसान स्वयं संगठित होकर इसका लाभ उठा सकें।

49. राजस्थान राज्य भण्डारण निगम द्वारा आगामी वर्ष जैसलमेर, पाली, सुमेरपुर, ब्यावर व नागौर में 10 हजार 8 सौ मैट्रिक टन की अतिरिक्त

भण्डारण क्षमता की व्यवस्था की जायेगी ।

50. अगले वर्ष राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में कृषि प्रबन्ध शास्त्र का एक अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जायेगा। कृषि शोध को गति देने के लिए कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत 13 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य कृषि विश्वविद्यालय में कराये जायेंगे ।

पशुपालन :

51. ऐसे स्थानों पर जहाँ विभागीय पशु चिकित्सा संस्थायें नहीं हैं, गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित करवाये जायेंगे । इस योजना हेतु 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है । जहाँ भेड़ व ऊन विभाग एवं पशुपालन विभाग के द्वारा समानान्तर पशु चिकित्सा सुविधा संचालित है वहाँ उनके एकीकरण करने पर भी सरकार विचार करेगी ।

52. गौशालाओं को उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केन्द्र बनाने के लिये “कामधेनु” नाम से एक नई योजना प्रारम्भ की जायेगी । कृषि



विकास केन्द्र तथा सक्षम स्वयंसेवी संस्थायें भी इसका लाभ उठा सकेंगी। द्वितीय चरण में आवश्यकता पड़ने पर चयनित निजी पशुपालकों को भी इस योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा। इसके लिये अगले वर्ष की योजना में 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

सहकारिता :

53. प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सहकारी समितियों के व्यवसाय में वृद्धि होने के कारण उन्होंने किसानों तथा उपभोक्ताओं की विशेष सेवा की है। इस वर्ष सहकारी संस्थाओं के द्वारा अब तक 501 करोड़ रुपये के फसली ऋण, 50 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण तथा 150 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण किसानों को दिये गये हैं।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण :

54. वर्ष 1997-98 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु (इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना एवं सिंचित क्षेत्र विकास के क्षेत्रों को छोड़कर) 267 करोड़



94 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे आगामी वर्ष में लगभग 16 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित किये जाने का लक्ष्य है।

55. नाबाड़ के ग्रामीण आर्थिक संसाधन विकास कोष से लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर आगामी वर्ष में 40 करोड़ 85 लाख रुपये खर्च करना प्रस्तावित है। भारत सरकार के 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' (Accelerated Irrigation Benefit Programme) के अन्तर्गत राज्य को इस वर्ष 5 करोड़ रुपये प्राप्त हुये। अगले वर्ष इस कार्यक्रम में 40 करोड़ रुपये प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा, इसमें इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना :

56. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिये वर्ष 1997-98 में 145 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें 80 करोड़ रुपये की केन्द्रीय



सहायता भी शामिल है। अगले वर्ष 50 हजार हैक्टेयर नये क्षेत्र में वितरण नहरें बनाकर 40 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित करने का कार्यक्रम है।

सिंचित क्षेत्र विकास :

57. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु अगले वर्ष 80 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इससे 60 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य, 60 किलोमीटर सड़कों एवं 25 डिमियों का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 9 हजार 5 सौ रनिंग किलोमीटर में नहरों के किनारे वृक्षारोपण, 6 हजार हैक्टेयर में टिब्बा स्थिरीकरण व अन्य वृक्षारोपण के कार्य भी करवाये जायेंगे।

58. चम्बल परियोजना क्षेत्र में 2 हजार 5 सौ हैक्टेयर में भूमि विकास कार्य तथा 250 किलोमीटर नहरों एवं वितरिकाओं की मरम्मत करवाया जाना प्रस्तावित है।

59. माही परियोजना के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास हेतु आगामी वर्ष में 15 सौ हैक्टेयर क्षेत्र में कच्चे धोरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

60. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान हेतु एक बहुआयामी एवं विस्तृत योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत 120 नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आगामी वर्ष में इस कार्य हेतु 80 अतिरिक्त नलकूपों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

सड़क निर्माण :

61. इस वर्ष 4 हजार किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किया गया तथा 1200 गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया जिनमें 805 पंचायत मुख्यालय हैं। अगले वर्ष 4200 किलोमीटर नवीन सड़कें बनाने व 1300 गाँवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अगले वर्ष सभी पंचायत मुख्यालय एवं सम्बल गाँव सड़कों से जुड़ जायेंगे।



आस्तियों का आधुनिकीकरण :

62. गत वर्षों में योजनागत विकास के फलस्वरूप काफी संख्या में विभिन्न कार्य जैसे सिंचाई हेतु बाँध, सड़कें, अस्पताल व स्कूल इत्यादि के भवन निर्माण कार्य करवाये गये। पूर्व वर्षों में इन आस्तियों के आवश्यकतानुसार सुधार हेतु समुचित ध्यान नहीं दिया जा सका। अब मैं उन आस्तियों के आधुनिकीकरण, तकनीकी उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये योजनान्तर्गत एक नये मद के तहत 61 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित कर रहा हूँ ताकि इन आस्तियों को लम्बे अर्से तक तकनीकी दृष्टि से सुधार कर उपयोगी बनाये रखा जा सके।

विशिष्ट योजनाएं एवं ग्रामीण विकास :

63. आगामी वर्ष केन्द्र प्रवर्तित तथा ग्रामीण विकास योजनाओं पर 8 सौ करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।




64. अगले वर्ष गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के चयन हेतु नवीन सर्वेक्षण कराया जायेगा। ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर उनमें आवश्यक सुधार किये जायेंगे। आधारभूत ढाँचे के विकास, समूह ऋण, कच्चे माल की आपूर्ति, विपणन दक्षता सुधार आदि पर ध्यान दिया जायेगा।
65. जवाहर रोजगार योजना, आशवासित रोजगार योजना, 30 जिला 30 काम योजना, निर्बन्ध राशि योजना, अपना गाँव अपना काम योजना, ग्रामीण विकास केन्द्र योजना आदि रोजगार-परक योजनाओं के माध्यम से गाँवों के आधारभूत ढाँचे के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। पक्के निर्माण कार्यों में सामग्री हेतु राशि का पर्याप्त अनुपात नहीं होने के कारण ऐसे निर्माण कार्यों में कई कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि पक्के कार्यों को भविष्य में सामग्री एवं श्रम के 50 : 50 अनुपात से ही स्वीकृत किये जायें।



66. पिछड़े क्षेत्रों के लिए कई विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। डांग क्षेत्र विकास योजना, मेवात क्षेत्र विकास योजना एवं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अलावा पिछड़े विकास खण्डों को चिन्हित कर उनके विकास हेतु एक कार्यक्रम योजना आयोग को भेजा गया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है।
67. ग्रामीण विकास केन्द्रों के नियोजित विकास पर अगले वर्ष 9 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
68. केन्द्र सरकार के सहयोग से गंगा कल्याण योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को नलकूपों के लिये सहायता उपलब्ध कराने के लिये 4 करोड़ 25 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
69. गैर परम्परागत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये 4 हजार रुग्ण बायोगैस संयंत्रों को पुनर्जीवित करने तथा 15 सौ नवीन बायोगैस संयंत्रों के निर्माण पर 1 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

वन :

70. वनों के प्रसार हेतु किये गये प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले हैं। भारत सरकार द्वारा उपग्रह के माध्यम से कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1991 से 1995 की अवधि में राज्य के वन क्षेत्र में 391 वर्ग किलोमीटर की अभिवृद्धि हुई है।
71. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध में जनभागिता को प्रोत्साहन देने के लिये अब तक 1 हजार 729 वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया जाकर उन्हें उनके क्षेत्र के वनों की सुरक्षा, विकास एवं प्रबन्ध का कार्य सौंप दिया गया है।
72. वन कार्यों पर आगामी वर्ष में 1 करोड़ 50 लाख मानव-दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। इस हेतु 55 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।



पेयजल :

73. गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के खारे पानी से ग्रसित ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अगले वर्ष लगभग 25 करोड़ रुपये की योजनाओं पर कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है, जिनसे गंगानगर जिले के 220 व हनुमानगढ़ जिले के 42 ग्राम लाभान्वित होंगे ।

74. उदयपुर शहर की पेयजल योजना के स्थायी समाधान हेतु हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से माँसी वाकल परियोजना को अगले वर्ष प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना की लागत हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं राज्य सरकार द्वारा 30 और 70 के अनुपात में वहन की जायेगी और जल का वितरण भी इसी अनुपात में किया जायेगा ।

घिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

75. राज्य में अगले वर्ष 150 नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र एवं 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शहरी क्षेत्रों में

खोले जायेंगे ।

76. सबाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में हृदय रोग चिकित्सा एवं न्यूरो सर्जरी सम्बन्धी सेवाओं का उन्नयन किया जायेगा ।

77. अजमेर स्थित जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में अगले वर्ष सी टी स्केन की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है ।

78. मेडिकल रिलीफ समितियों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुये इस व्यवस्था को आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों से सम्बद्ध समस्त चिकित्सालयों एवं 100 या उससे अधिक शैयाओं के चिकित्सालयों में लागू किया जायेगा ।

79. राज्य में क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में माह में दो बार शिविरों का आयोजन कर क्षय रोगियों की खोज एवं उपचार



का एक व्यापक कार्यक्रम लागू किया जायेगा। इस कार्यक्रम हेतु राज्य के वर्तमान अंशदान को 1 करोड़ 70 लाख रुपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष में 3 करोड़ 33 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 40 लाख रुपये जनजाति उपयोजना क्षेत्र में व्यय होंगे।

80. राज्य के प्रत्येक जिले की एक पंचायत समिति में मोतियाबिन्द के सभी लम्बित प्रकरणों में ऑपरेशन कर, मोतियाबिन्द रहित बनाने हेतु व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा।

81. राज्य में निजी निदान केन्द्रों एवं चिकित्सालयों के नियमित संचालन व नियंत्रण हेतु कानून बनाया जा रहा है जिससे निजी संस्थानों की नियमित रूप से बढ़ोतारी हो सके, जन जीवन की क्षति नहीं हो एवं समय पर रोगों के उपचार हेतु सुविधा मिलना सम्भव हो सके। इसके अतिरिक्त राज्य में पैरामेडिकल स्टॉफ की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।



परिवार कल्याण :

82. तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। इस वर्ष दम्पत्ति संरक्षण दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है जबकि पिछले वर्षों में इसमें 1 से 2 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष होती रही है। दम्पतियों की इच्छानुसार परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध करवाये जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप निरोध व गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोग में करीब 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजलक्ष्मी योजना प्रदेश में लोकप्रिय हुई है, अगले वर्ष इसके लिये 1 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

83. पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत इस वर्ष 72 लाख बच्चों को दवा पिलायी गयी। इस अभियान की सफलता में जन-प्रतिनिधियों व राज्य कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगले वर्ष इस अभियान पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय होंगे।



महिला एवं बाल विकास :

84. सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों एवं महिलाओं के त्वरित एवं समग्र विकास के प्रति सरकार की वचनबद्धता एवं विशिष्ट प्रयास को रेखांकित करने की दृष्टि से अगले वर्ष एक विशेष पैकेज प्रोग्राम प्रस्तावित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास के लिए योजनागत व्यय को मैं चालू वर्ष के 20 करोड़ 29 लाख रुपये के मुकाबले अगले वर्ष 34 करोड़ 10 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

85. महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार लाने एवं विकास में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता हेतु अगले वर्ष राज्य की महिला नीति की घोषणा की जायेगी। इस नीति में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, नियोजन, आर्थिक विकास, संगठन, संज्ञान, उत्पीड़न एवं सुरक्षा तथा विकास में सहभागिता आदि नीतिगत विषयों का समावेश होगा। एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा महिला नीति के क्रियान्वयन तथा उसके परिणामों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी।

86. महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण एवं उनकी दक्षता सुधार करने के लिये एक प्रशिक्षण एवं संदर्भ केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

87. किशोरियों को स्वास्थ्य एवं सफाई, पोषण तथा व्यक्तित्व विकास से सम्बन्धित विषयों की जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिये अगले वर्ष किशोर बालिका योजना प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना को आरम्भ में 15 जिलों में शुरू किया जायेगा जिसके लिये 65 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

88. महिलाओं के आर्थिक सम्बल के लिये ऐसे एक हजार 'स्वयं सहायता समूह', जो दो वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है, को मैचिंग आधार पर अधिकतम 5 हजार रुपये प्रति समूह तक की सहायता दी जायेगी।

89. उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अविलम्ब राहत देने, आवश्यक सहायता देने एवं उत्पीड़न के मामलों में शीघ्र कार्यवाही कराने के उद्देश्य से



जिला स्तरीय महिला उत्पीड़न सुरक्षा समितियों का गठन किया जायेगा। ऐसी महिलाओं को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जिले में एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित किया जायेगा। आगामी वर्ष में इसके लिये 10 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

90. समेकित बाल विकास कार्यक्रम में विकलाँग बच्चों के लिए एक विशेष योजना प्रारम्भ की जायेगी। उन्हें आँगनबाड़ी केन्द्रों की गतिविधियों के साथ जोड़कर यह प्रयास किया जायेगा कि वे स्वस्थ बच्चों के समान ही विकसित हो सकें। अगले वर्ष यह योजना अजमेर और जयपुर शहर के 50 आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित की जायेगी। इस पर लगभग 15 लाख रुपये की राशि व्यय होने का अनुमान है।

समाज कल्याण :

91. अगले वर्ष कमज़ोर वर्गों की शिक्षा एवं रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। समाज कल्याण के क्षेत्र में योजनागत व्यय को चालू वर्ष के



सरकार वर्षा

के कल्याण का उत्तरदायित्व सरकार का है। इस उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिये मैं शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग तथा निराश्रित बालक बालिकाओं के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के कार्यों से जुड़ी अनुदानित संस्थाओं में आवास कर रहे बालक बालिकाओं के मैस भत्ते की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस हेतु 1 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

95. मूक, बधिर, अस्थि एवं दृष्टि बाधित बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में पाँच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत संस्थाओं को भवन निर्माण एवं शैक्षणिक उपकरणों के लिए मैचिंग आधार पर सहायता देने का सरकार ने निर्णय लिया है। शारीरिक विकलांगता छात्रवृत्ति योजना को उदार बनाया जायेगा। ऐसे छात्रों को स्कूल शिक्षा के त्रिभाषा फार्मूला से भी छूट दी जायेगी।

96. अस्थि तथा दृष्टि बाधितों के अलावा अब श्रवण बाधित व्यक्तियों को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा हेतु किराये में 75 प्रतिशत



तथा मानसिक विमन्दित व्यक्तियों को पूरी छूट तथा उनके सहायक को किराये में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। अनुदानित विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत मूक, बधिर तथा अस्थि एवं दृष्टिबाधित तथा मानसिक रूप से विमन्दित बालक बालिकाओं को अगले वर्ष से पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

97. विकलांग व्यक्तियों को उपचार एवं सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को राज्य में अगले वर्ष से लागू किया जायेगा। केन्द्रीय अर्थ प्रबन्धित योजनान्तर्गत आगामी वर्ष में 20 लाख रुपये की सहायता से 5 जिला पुनर्वास केन्द्र आरम्भ किये जायेंगे। इस योजना के विस्तार हेतु राज्य सरकार नवीं योजना में एक करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायेगी।



98. वर्ष 1997-98 में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से शारीरिक व मानसिक विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जायेगा ।
99. निजी क्षेत्रों में विकलांगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के पाँच शहरों में अगले वर्ष लगभग 500 विकलांगों को जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाकर विभिन्न उद्योगों में रोजगार सुलभ कराया जायेगा ।
100. अनुसूचित जातियों के कल्याण की विशिष्ट संगठक योजनान्तर्गत सभी विभागों के व्यक्तिगत लाभ के कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आनुपातिक हिस्सा सुनिश्चित किया जाकर उन्हें विशेष लाभ पहुंचाया जायेगा ।
101. सम्बल योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 300 ग्रामों में सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के लिए 90 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है ।



102. प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 1997-98 में 10 देखभाल केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु 15 लाख रुपये की राशि का व्यय प्रस्तावित है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

103. अगले वर्ष में जनजातियों के विकास पर 283 करोड़ 88 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसमें से जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना के तहत अगले वर्ष 38 करोड़ 60 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 14 नये आश्रम छात्रावास स्थापित किये जायेंगे। 5 छात्रावासों की क्षमता को दुगुना किया जाना प्रस्तावित है। छात्रावासों में रहने वाले कक्षा 10 से 12 के छात्रों की पोशाक, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि के लिये 1 हजार रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष व्यय किये जायेंगे। इन छात्रावासों



में रहने वाले विज्ञान संकाय के कक्षा 11 से 12 तक के प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए यह राशि 1 एक हजार दो सौ रुपये होगी ।

104. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अगले वर्ष 12 एनीकट व 30 जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के निर्माण, 250 डीजल पम्प सेटों का वितरण, 1 हजार 546 कुँओं को गहरा कराने एवं 13 जनजाति बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है ।

105. झूंगरपुर जिले में क्रियान्वित “पहल” परियोजना पर 8 करोड़ 91 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है ।

106. जनजाति उपयोजना के तहत अनुसूचित जनजाति की मेधावी छात्रायें, जो प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध शास्त्र में उच्च शिक्षा के लिये अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करती हैं, को ‘ब्रिजिंग सुविधा’ के रूप में 5 हजार रुपये प्रति छात्रा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ।



श्रम एवं रोजगार :

107. अगले वर्ष श्रीगंगानगर व जयपुर में दो नये श्रम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

108. महिलाओं के लिये जयपुर में पृथक से रोजगार कार्यालय स्थापित किया जायेगा।

उद्योग :

109. औद्योगिक निवेश को बढ़ाने की दृष्टि से अगले वर्ष रीको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं रख-रखाव पर 200 करोड़ रुपये का विनियोजन किया जायेगा।

110. छोटे उद्योगों के लिये जोधपुर जिले के संगरिया ग्राम में एक एकीकृत औद्योगिक केन्द्र विकसित किया जा रहा है। नागौर में भी ऐसा ही एक केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन है।



- 111.** रंगाई छपाई उद्योग के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से सांगानेर के निकट ही एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा जिसमें इन कारखानों से निकले दूषित जल के प्रदूषण की रोकथाम की भी व्यवस्था होगी।
- 112.** किशनगढ़ में एक विशेष संगमरमर मण्डी विकसित की जायेगी जिसमें गोदामों, वे-ब्रिज, पैट्रोल पम्प, होटल आदि की सुविधायें उपलब्ध होंगी।
- 113.** सॉफ्टवेयर उद्योग में नियति की सम्भावनाओं को देखते हुये जयपुर के निकट एक इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जायेगा।
- 114.** पिछले वर्ष औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना हेतु एक बिल पारित किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिये एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। इससे तेजी से बढ़ रहे इस औद्योगिक क्षेत्र के सुनियोजित विकास में सहायता मिलेगी एवं वहाँ विशेष रूप से सामाजिक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकेंगी।



115. जयपुर स्थित 47 करोड़ रुपये की लागत के नियंत्रित प्रोत्साहन पार्क का कार्य पूरा हो गया है, भिवाड़ी में भी एक और नियंत्रित प्रोत्साहन पार्क की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। भीलवाड़ा में शीघ्र ही प्रदेश का तीसरा इन्लॉड कन्टेनर डिपो शुरू हो जायेगा।

116. खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से अगले वर्ष 40 हजार कामगारों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

117. उद्यमियों को सही कामगार एवं प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष भिवाड़ी में एक रोजगार मेले का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। अगले वर्ष राज्य के अन्य सभी प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में ऐसे मेले आयोजित किये जायेंगे ताकि स्थानीय व्यक्तियों को वहां स्थित उद्योगों में रोजगार मिल सके।

118. हथकरघा क्षेत्र में अधिकाधिक बुनकरों को रोजगार देने के उद्देश्य से 8 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत की 18 परियोजनायें भारत सरकार से




स्वीकृत कराई गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से लगभग 3 हजार 5 सौ बुनकरों को अतिरिक्त रोजगार दिलाना सम्भव हो पायेगा।

119. हस्तशिल्प व पर्यटन क्षेत्र की सम्भावनाओं से पूरा लाभ लेने के लिये जयपुर में हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

120. राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु उत्साहवर्धक वातावरण बना है। परिणामस्वरूप, निजी क्षेत्र की कई बड़ी कम्पनियों ने राजस्थान में औद्योगिक निवेश में रुचि दिखाई है। माइको बॉश नाम की प्रसिद्ध कम्पनी ने जयपुर के निकट 250 करोड़ रुपये की लागत का एक कारखाना लगाने हेतु निर्णय लिया। रीको द्वारा 69 करोड़ रुपये तथा राजस्थान वित्त निगम द्वारा 120 करोड़ रुपये के ऋण फरवरी, 1997 तक स्वीकृत किये गये।

121. औद्योगिक नीति के अन्तर्गत घोषित “पूंजी विनियोजन अनुदान योजना” की अवधि 31 मार्च, 1997 को समाप्त हो रही है। प्रदेश में उद्योगों



के अनुकूल बने वातावरण का अधिक से अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से नई औद्योगिक इकाइयों के लिए इस योजना की अवधि आंशिक संशोधनों के साथ 31 मार्च, 1998 तक बढ़ा दी जायेगी। पूंजी विनियोजन अनुदान योजना का लाभ भविष्य में लघुतर एवं लघु उद्योगों को ही दिया जायेगा। सामान्य श्रेणी की इकाइयों के लिए अनुदान की दर स्थाई परिसम्पत्तियों की 15 प्रतिशत (अधिकतम् 15 लाख रुपये तक) रहेगी।

खनिज :

122. सीसा, जस्ता व ताँबा धातुओं की उपलब्धता का पता लगाने के लिए सिरोही जिले में दो पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये हैं।

123. राज्य में तेल व गैस की खोज करने हेतु सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं। पोलैंड की सुप्रसिद्ध कम्पनी, पोलिश ऑयल एण्ड गैस कम्पनी के सहयोग से एसार ऑयल द्वारा बीकानेर, गंगानगर व चूरू जिलों के 32 हजार



वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शीघ्र ही खोज कार्य प्रारम्भ किये जाने की आशा है। शैल इंटरनेशनल ने उनको बाड़मेर-जालौर जिलों में आबंटित भूमि का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है तथा शीघ्र ही वे तेल की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण कुएँ खोदेंगे।

पर्यटन :

124. आबू पर्वत पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। पर्यटकों के बढ़ते दबाव को देखते हुये आबू पर्वत में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 50 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

125. बीकानेर में सूरसागर से गंदे पानी के निकास की समस्या के निवारण हेतु अगले वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तारागढ़ क्षेत्र के विकास हेतु 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

126. अजमेर, उदयपुर व जोधपुर स्थित फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट का संचालन अब पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। आगामी वर्षों में इन संस्थानों



को स्ववित्त पोषित बनाया जायेगा।

127. पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान पर्यटन विकास नियम में एकल सुविधा केन्द्र की व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है ताकि निवेशकों को अलग-अलग विभागों से स्वीकृतियाँ प्राप्त करने की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त वर्तमान में चालू पूँजी विनियोजन अनुदान योजना (Capital Investment Subsidy Scheme) 1993 एवं डीजल जेनरेटिंग सेट क्रय अनुदान योजना 1994 को अगले दो वर्ष और जारी रखा जाना प्रस्तावित है।

यातायात :

128. सड़क दुर्घटनाओं और वाहन जनित प्रदूषण को कम करने के लिए अगले वर्ष परिवहन विभाग के पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण, कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण तथा परीक्षा हेतु ड्राईविंग ट्रैक का निर्माण, केन्द्रीय मोटर वाहन करारोपण अधिनियम में संशोधन आदि के प्रस्ताव हैं।



गणपति भट्टा

129. राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर ढाबों, होटलों व दुकानों के अनियन्त्रित विस्तार को रोकने हेतु चयनित स्थानों पर सुविधा केन्द्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर जिले के मनोहरपुर गाँव में ऐसे सुविधा केन्द्र पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

राजस्व :

130. करौली क्षेत्र के पिछड़ेपन, विशेषकर डांग क्षेत्र की विकास में बाधक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने करौली को नया जिला बनाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जिला राजस्व अधिकारी नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है।

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास :

131. आगामी वर्ष में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत 8 हजार 528 व्यक्तियों को वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इससे 5 करोड़ रुपये की लागत से 4 लाख 27 हजार मानव दिवस सृजित होंगे।



132. शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना वर्तमान में 11 शहरों में चलायी जा रही है। आगामी वर्ष में 8 नये शहरों में इस योजना का प्रसार किया जायेगा जिस पर 1 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

133. कच्ची बस्तियों की वर्तमान भूमि को सरकार को सौंपने की एवज में सम्बन्धित व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के स्तर का बना बनाया मकान निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना चयनित क्षेत्रों में लागू करने पर विचार किया जायेगा।

कानून एवं व्यवस्था :

134. इस वर्ष राज्य विशेष शाखा व विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया जाकर आधुनिकतम उपकरण व यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

135. अगले वर्ष में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा पुलिस बल को अधिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।



136. पुलिस आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण योजना की क्रियान्विति हेतु मैं आगामी वर्ष के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

विधि तथा न्याय :

137. आगामी वर्ष में विभिन्न प्रकार के 30 नये न्यायालयों की स्थापना की जायेगी जिससे लम्बित प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण हो सके।

138. न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है, इतनी ही राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होने के अनुमान हैं।

युवा मामले एवं खेलकूद :

139. आगामी वित्तीय वर्ष में बीकानेर, बाड़मेर व श्रीगंगानगर जिलों के 30 चयनित गाँवों में, बास्केटबाल और बालीबाल खेल मैदान का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।



140. नवीन खेलकूद कार्यक्रमों पर 44 लाख रुपये व्यय करना प्रस्तावित है जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों एवं 'एडवेन्चर स्पोर्ट्स' पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन :

141. स्वतंत्रता सेनानियों को अभी 5 सौ रुपये की पेन्शन प्रतिमाह दी जाती है। मैं आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के उपलक्ष में इस पेंशन को बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ।

कर्मचारी कल्याण :

142. राज्य कर्मचारियों के बीमा नियम एवं सामान्य प्रावधायी नियमों को सरल बनाया गया है ताकि कर्मचारियों के दावे शीघ्र निस्तारित किये जा सकें।

143. पाँचवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इन सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात्



राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिये इस बारे में समुचित निर्णय करेगी। बजट में इसके लिये कुछ प्रावधान कर दिया गया है। राज्य की कुल देयता का निर्धारण केन्द्र सरकार के निर्णय के बाद ही हो पायेगा, उसके अनुसार अतिरिक्त राशि का प्रावधान पूरक मांगों में कर दिया जायेगा।

144. राज्य कर्मचारियों के यात्रा व्यय व चिकित्सा व्यय के अब तक के बकाया के भुगतान हेतु सम्बन्धित मर्दों में समुचित प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है। भविष्य में ऐसी सुनियोजित व्यवस्था की जायेगी कि कर्मचारियों के इस प्रकार के भुगतान समय पर हो जायें तथा क्लेम्स इकट्ठा नहीं हों।

कला एवं संस्कृति :

145. प्रतः स्मरणीय महाराणा प्रताप हम सब के लिये पूजनीय और श्रद्धा के पात्र है। उनका निधन 400 वर्ष पूर्व 19 जनवरी, 1597 को उदयपुर जिले के चावण्ड गाँव में हुआ था। चावण्ड स्थित महाराणा प्रताप समाधि के सुधार पर इस वर्ष 113 लाख 50 हजार रुपये खर्च किये जायेंगे। महामहिम



राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार के 19 जनवरी, 1997 से 19 जनवरी, 1998 तक के वर्ष को “महाराणा प्रताप स्मृति वर्ष” के रूप में मनाने के निर्णय का उल्लेख किया गया था। हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप का एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जायेगा। इसके लिये राष्ट्रीय स्वरूप के एक न्यास का गठन किया जायेगा। महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक के लिए सरकार द्वारा इस न्यास को 1 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक राशि उपलब्ध कराई जायेगी। स्मारक के लिये राज्य तथा देश विदेश से धनराशि जुटाई जायेगी। महाराणा प्रताप की स्मृति में फील्ड माशल सैम मानेकशा को 1 लाख रुपये के प्रताप शौर्य पुरस्कार से सम्मानित करने का भी निश्चय किया गया है। हल्दीघाटी में एक संग्रहालय के निर्माण पर 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। हल्दीघाटी को वापस उसके मूल स्वरूप में लाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के सभी स्थानों के विकास का कार्य भी हाथ में लिया जायेगा।



ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज :

146. जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 1 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त जनता आवास योजना तथा अन्य ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत अगले वर्ष 7 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण स्वच्छता योजना पर 2 करोड़ 28 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। अगले वर्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज हेतु गैर-आयोजना मद में 56 करोड़ 63 लाख रुपये तथा आयोजना मद में 148 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

147. अगले वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये योजनागत व्यय को दुगुना किया जाना प्रस्तावित है। इन्टीग्रेटेड मिशन फॉर स्टेनेबल डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत 18 जिलों के संसाधन मानचित्र तैयार कराये जायेंगे।



इसी प्रकार दस्तकारों, योजनाविदों एवं नियर्तिकों की सुविधा के लिये आगले वर्ष राजस्थान का हैण्डीक्राफ्ट एटलस तैयार किया जाना भी प्रस्तावित है।

राज्य लॉटरी :

148. जनसाधारण की भावनाओं को देखते हुए 1 अप्रैल, 1995 से राज्य की सभी एक अंकीय लॉटरी का राज्य में चलन बन्द करने के निर्णय से माननीय सदस्य अवगत है। अन्य राज्यों की एक अंकीय लॉटरी पर 20 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लागू किया गया था। अब एक राज्य की लॉटरी का दूसरे राज्य में बिना अनुमति के विक्रय वर्जित हो गया है। अभी हाल ही में राज्य में रायल भूटान लॉटरी का प्रचलन भी बन्द कर दिया गया है। अब राज्य में किसी अन्य राज्य की लॉटरी का प्रचलन नहीं है।



भाग-II

149. अध्यक्ष महोदय, अब मैं बहुप्रतीक्षित कर प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहूँगा ।

150. माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि गत तीन वर्षों से राज्य में सरलीकृत एवं पारदर्शी बिक्री कर व्यवस्था लागू करने की सतत प्रक्रिया आरम्भ की गई है । मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस प्रक्रिया को अपनाने से राज्य में औद्योगिक विकास के नये आयाम स्थापित हो रहे हैं तथा राज्य के कर ढाँचे को युक्तिसंगत बनाने से राजस्थान के व्यापार व उद्योग के अन्य राज्यों को हो रहे पलायन को रोकने में अपूर्व सफलता मिली है ।

151. राज्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तम्भ किसानों, उद्यमियों एवं व्यापारियों में राज्य सरकार का पूर्ण विश्वास है। मुझे खुशी है कि बिक्री कर

राजस्व में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि शासन के इस विश्वास की पुष्टि करती है। शासन का उद्देश्य इस बजट में कर प्रबंधन के सुधार हेतु आरम्भ की गई व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हुए करारोपण की ऐसी नीति लागू करने की रहेगी जिससे लोक हितार्थ राज्य की परिकल्पना साकार हो सके तथा कर का भार समाज के अपेक्षाकृत कमजोर, गरीब एवं असहाय वर्ग पर कम से कम हो, कृषि एवं उद्योग के विकास को प्रचुर प्रोत्साहन मिले तथा व्यापार में अबाध गति से वृद्धि हो। मुझे विश्वास है कि ये सभी वर्ग देय कर के राजकोष में सामयिक स्वतः भुगतान के दायित्व का निवाहि कर, राज्य के चहुँमुखी विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

152. उदारीकरण एवं वैश्वनीकरण के इस युग में राज्य के उद्योग एवं व्यापार को अबाध बढ़ावा देने के लिए कर नीति निर्धारण के समय अन्य राज्यों के कर प्रबंधन को दृष्टिगत रखना आवश्यक हो गया है। मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि बिक्री कर सुधारों बाबत विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति



उभरी है तथा उत्तर क्षेत्र के वित्त मंत्रियों के सम्मेलनों में इस क्षेत्र के लिए समान कर दर व्यवस्था लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली (वैट) आज विश्व के अधिकांश देशों में प्रभावी है। मुझे यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि कैनेडियन इन्टरनेशनल डिवलपमेंट एजेन्सी ने हमारे राज्य को कर सुधारों के लिए चुना है। इससे हमें वैट प्रणाली आरम्भ करने में उनकी विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ मिलेगा। उत्तर क्षेत्र के राज्यों द्वारा इस व्यवस्था को 1 अप्रैल, 1999 से आरम्भ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हमारा यह प्रयास होगा कि इस प्रणाली से उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा मिले।

153. व्यवहारियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के साथ-साथ ही कर-अपवंचन को रोकने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस क्रम में विभाग में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

154. राज्य में उद्योगों के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। इस संबंध में औद्योगिक विकास को और गति देने के लिये मैं निम्न प्रोत्साहन प्रस्तावित कर रहा हूँ :-

- (i) राज्य के औद्योगिक विकास में बिक्री कर प्रोत्साहन तथा आस्थगन योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राज्य के औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए मैं नई बिक्री कर प्रोत्साहन व आस्थगन योजना 1989 की अवधि, जो 31 मार्च, 1997 को समाप्त हो रही है, को अब 31 मार्च, 1998 तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।
- (ii) उद्योगों की स्थापना हेतु वर्तमान में प्लान्ट एवं मशीनरी खरीदने के बजाय लीज पर लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वर्तमान में ऐसी लीज पर कर की दर 10 प्रतिशत है। इस कर दर को घटाकर 4 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

- (iii) लोहा एवं इस्पात की री-रोलिंग मिलों के द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल पर वर्तमान में 1.5 प्रतिशत की दर से कर देय होता है। इन उद्योगों की क्षमता का पूर्ण दोहन करने की दृष्टि से मैं इनके कच्चे माल पर कर को पूर्ण रूप से समाप्त करना प्रस्तावित कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त इन मिलों के उत्पाद के विक्रय को अन्य राज्यों में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की वर्तमान दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना भी प्रस्तावित है।
- (iv) स्टेनलैस स्टील पर आधारित उद्योगों का पश्चिमी राजस्थान में उत्साहवर्धक विकास हुआ है। इन उद्योगों में प्रयुक्त स्टेनलैस स्टील, फ्लेट, इनगट, बिलेट, शीट, पट्टा, सर्किल, स्क्रेप से संबंधित कच्चे माल के क्रय पर रियायती दरें लागू करने वाली अधिसूचनाएँ जो 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने जा रही हैं, की अवधि को इन उद्योगों के उत्तरोत्तर विकास हेतु 31 मार्च, 1998 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।




- (v) राज्य में प्रचुरता से उपलब्ध ग्रेनाइट पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रेनाइट की कर दर को गत बजट में 16 प्रतिशत से घटाकर 31 मार्च, 1997 तक 12 प्रतिशत किया गया था। इस उद्योग के लिए मैं 12 प्रतिशत की रियायती दर को 31 मार्च, 1998 तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।
- (vi) सीमेन्ट के अन्तर्राज्यिक विक्रय को बढ़ावा देने की दृष्टि से ऐसे विक्रय हेतु 4 प्रतिशत की रियायती कर दर की सुविधा प्रदान की गई थी जिसके अच्छे परिणाम रहे हैं। यह सुविधा 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने जा रही है। अतः मैं इसे 31 मार्च, 1998 तक बढ़ाना प्रस्तावित कर रहा हूँ।
- (vii) बनस्पति धी निर्माण के लिए खाद्य तेल को रियायती दर पर कच्चे माल के रूप में उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध है जबकि यह सुविधा सॉल्वेट एक्सट्रैक्टेड ऑयल के प्रयोग पर उपलब्ध नहीं है।



वनस्पति धी उद्योग में कतिपय सीमा से अधिक खाद्य तेल के उपयोग पर पाबन्दी होने से ऐसे उद्योगों को कच्चे माल की समस्या रहती है। राज्य में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल प्रचुरता से उपलब्ध है। अतः मैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल एवं अन्य अखाद्य तेल को भी वनस्पति धी निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने पर खाद्य तेल के समान ही रियायती कर दर पर खरीद की सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित करता हूँ।

- (viii) राज्य में विनिर्मित एल्युमिनियम फॉयल के अन्तर्राज्यिक विक्रय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दृष्टि से मैं इसके अन्तर्राज्यिक विक्रय की कर दर 31 मार्च, 1998 तक 1 प्रतिशत करना प्रस्तावित कर रहा हूँ।
- (ix) राज्य में 50 करोड़ रुपये से अधिक नियोजन करने वाली नई सूती धागा विनिर्माता इकाईयों को 31 मार्च, 1997 तक उत्पादन आरम्भ



करने पर पाँच वर्ष के लिए कपास कर मुक्त क्रय करने की सुविधा गत वर्ष दी गई थी। इस क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से कपास पर आधारित ऐसी इकाईयों की राज्य में स्थापना को बढ़ावा देने की दृष्टि से मैं इस अवधि को 31 मार्च, 1998 तक बढ़ाना प्रस्तावित कर रहा हूँ।

(x) गत बजट में शत प्रतिशत नियतोन्मुखी ग्वार गम की पुरानी इकाईयों के लिए ग्वार को कच्चे माल के रूप में क्रय करने पर दो प्रतिशत की रियायती कर दर घोषित की गयी थी। राज्य में कच्चे माल के रूप में बहुतायत से उपलब्ध ग्वार पर आधारित औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा देने तथा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके इस हेतु मैं अब ऐसी सभी इकाईयों को भी 2 प्रतिशत की रियायती दर पर ग्वार क्रय करने की सुविधा 31 मार्च, 1998 तक प्रदान करना प्रस्तावित करता हूँ।



- (xi) गत वर्ष के बजट में प्लास्टिक ग्रेन्यूल की कर दर 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गयी थी। अब मैं प्लास्टिक पाउडर तथा प्लास्टिक कलर मास्टर बैच जो राज्य में कच्चे माल के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, की कर दर भी 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।
- (xii) राज्य में टिन के कनस्टर व डिब्बे बनाने वाले उद्योगों को वर्तमान में कच्चा माल टिन प्लेट राज्य के बाहर से आयात करना पड़ रहा है। ऐसे उद्योगों को राज्य में ही कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके, इस हेतु उनके कच्चे माल टिन प्लेट की कर दर को 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।
- (xiii) राज्य में कच्ची ऊन को कच्चे माल के रूप में वूलन यार्न विनिर्माण हेतु कर मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है जबकि राज्य में बहुतायत



- से बनाये जा रहे वूलन कारपेट यार्न के संबंध में यह सुविधा अभी प्राप्त नहीं है। मैं अब वूलन कारपेट यार्न के राज्य में विनिर्माण हेतु प्रयुक्त कच्ची ऊन को कर मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- (xiv) राज्य में प्रचुरता से उपलब्ध कच्चे माल खाल एवं चमड़े पर मूल्य संवर्धन का लाभ राज्य को मिले तथा इन पर आधारित उद्योगों की राज्य में स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं खाल एवं चमड़े को राज्य में विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने पर पूर्णतया कर से मुक्त करना प्रस्तावित कर रहा हूँ। ऐसे विनिर्मित माल का राज्य में अथवा अन्तर्राज्यीय विक्रय करना आवश्यक होगा ताकि राज्य में तैयार माल पर कर प्राप्त हो सके।
- (xv) सभी प्रकार की औद्योगिक गैस की कर दर को 31 मार्च, 1998 तक 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है। इससे उद्योगों को घोषणा पत्रों की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।



155. एच.डी.पी.ई. फैब्रिक का उपयोग मुख्य रूप से पैकिंग मैटेरियल बनाने में होता है। अतः इसकी कर दर भी 6 प्रतिशत के स्थान पर पैकिंग मैटेरियल की दर के समान ही 4 प्रतिशत 31 मार्च, 1998 तक करना प्रस्तावित करता हूँ।

156. महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1994-95 के बजट में उनके द्वारा लघुतर (टाईनी) क्षेत्र में स्थापित इकाई द्वारा निर्मित वस्तुओं पर 3 वर्ष की अवधि के लिए शत प्रतिशत कर से छूट दी गयी थी। अब मैं महिला उद्यमियों द्वारा लघुतर (टाईनी) क्षेत्र में स्थापित नयी इकाइयों को 4 कर निधारण वर्ष की अवधि के लिए, प्रत्येक कर निधारण वर्ष में 5 लाख रुपये तक के टर्नओवर को कर मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

156. राज्य में लोहे से बने हाथ के कतिपय औजारों की कर दर गत बजट में कम करते हुए 4 प्रतिशत की गयी थी जबकि अन्य हाथ के औजारों की दर 10 प्रतिशत है। इस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने एवं इनका उपयोग

करने वाले काश्तकारों एवं दस्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुए मैं हाथ के समस्त प्रकार के औजारों पर 10 प्रतिशत की वर्तमान दर को घटाकर एक ही दर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

157. जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, गत तीन वर्षों में बिक्री कर दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सहमति में प्रस्तावित 4, 8 एवं 12 प्रतिशत की कर दरों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अवशिष्ट कर दर को मैं 10 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ। इसके साथ ही 8 प्रतिशत का एक नया स्लैब बनाया जाना भी प्रस्तावित है।

158. कैरोसिन तेल वर्तमान में 10 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। ईधन के रूप में इसकी घरेलू उपयोगिता को देखते हुए मैं इसकी कर दर घटाकर 8 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ तथा माचिस की कर दर भी 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ।

- 159.** जन साधारण विशेषतया बच्चों द्वारा बिस्कुट तथा कन्फेक्शनरी के बढ़ते हुए उपभोग को देखते हुए मैं इनकी वर्तमान कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ।
- 160.** कपडे धोने के साबुन की टिकिया का व्यापक उपभोग देखते हुए मैं इसे अब 6 प्रतिशत के स्थान पर 31 मार्च, 1998 तक 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य किया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ।
- 161.** वर्तमान में स्टेशनरी की सभी वस्तुएँ 6 प्रतिशत से कर योग्य हैं छात्रों के उपयोग में आने वाली इन वस्तुओं पर अब कर दर घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- 162.** अरण्डी के तेल की राज्य की वर्तमान दर 10 प्रतिशत को घटाकर 4 प्रतिशत तथा अन्तर्राज्यिक विक्रय कर की वर्तमान दर 4 प्रतिशत को घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस व्यवस्था से अरण्डी की राज्य में माँग बढ़ेगी एवं किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।

163. ट्रैक्टर की ट्रॉली कृषकों के कृषि उत्पादन कार्य तथा दैनिक जीवन में मुख्य भूमिका निभा रही है। वर्तमान में इसकी कर दर 4 प्रतिशत है। मैं कृषकों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से इसे पूर्णतया कर मुक्त किये जाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। कृषि उपकरण 'क्रोबार' (Crowbar) को भी पूर्णतया कर मुक्त करना प्रस्तावित है।

164. राज्य में फव्वारा एवम् बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कर से छूट दी गई थी। इन पद्धतियों में काम आने वाले पार्ट्स की कर दर माह दिसम्बर, 1996 में घटाकर 6 प्रतिशत की गई थी। मैं पाइप्स को छोड़कर शेष पार्ट्स को अब कर मुक्त करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

165. महिलाओं के काम में आने वाली हेयर बैण्ड, रबड़ बैण्ड, सेफ्टी पिन, नेलकटर, आँकला, अरीठा एवं शिकाकाई, जो वर्तमान में 10 प्रतिशत से कर योग्य हैं, को भी मैं कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ।



166. नारियल के रेशे से बनी चटाई (क्वायर मैटिंग) तथा पायदान की बढ़ती हुई उपयोगिता को देखते हुए मैं इन्हे कर मुक्त करना प्रस्तावित कर रहा हूँ।
167. समाज के आम आदमी द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले सत्तू को कर मुक्त किये जाने का प्रस्ताव है।
168. व्रत-उपवास में काम आने वाला साबूदाना एवं इसके पापड़ जो वर्तमान में 10 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, को भी कर मुक्त करने का प्रस्ताव है।
169. वर्तमान में 400 रुपये तक के चश्मे 2 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं जबकि अन्य चश्मों पर कर दर 10 प्रतिशत है। व्यवहारियों की सुविधा के लिए इस विसंगति को दूर करते हुए मैं सभी प्रकार के चश्मों पर 4 प्रतिशत की समान कर दर का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

170. मोतियाबिन्द से ग्रसित नागरिकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मैं मोतियाबिन्द के आँपरेशन की नवीनतम तकनीक में प्रयोग किये जा रहे इन्ट्रा-ओक्यूलर लैन्स को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ।

171. वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए मैं सभी प्रकार के कृत्रिम दाँत (डेन्चर), जो अभी 10 प्रतिशत से कर योग्य हैं, को भी कर मुक्त किये जाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

172. रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सभी प्रकार की औषधियों की कर दर 6 प्रतिशत रखी गयी थी, किन्तु अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित होने से रोगियों को इस कम कर दर का लाभ नहीं मिल पाया है। अतः मैं राष्ट्रीय सहमति के अनुरूप इन्हें 8 प्रतिशत के नये स्लैब के अन्तर्गत रखना प्रस्तावित करता हूँ। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस व्यवस्था से औषधि के खुदरा मूल्यों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि यह वृद्धि अधिकतम खुदरा मूल्य में ही समाहित होगी।



173. जीवनदायी ऑक्सीजन गैस जो वर्तमान में 10 प्रतिशत से कर योग्य है, इस की कर दर को घटा कर 4 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

174. 75 रुपये मूल्य तक की डिजिटल घड़ियाँ 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं जबकि अन्य सभी प्रकार की घड़ियाँ 12 प्रतिशत से कर योग्य हैं। बढ़ते हुये मूल्य एवं उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए मैं अब 400 रुपये मूल्य तक की घड़ियों की कर दर को एक समान 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ। इससे अधिक मूल्य की घड़ियाँ पूर्ववत् 12 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य रहेंगी।


175. लिनोलियम तथा लेमिनेटेड शीट जैसे सनमाईका, फॉरमाईका, डैकोलम तथा सिन्थेटिक एडहेसिव पर वर्तमान में 16 प्रतिशत कर देय है। फर्नीचर बनाने में इनके बढ़ते हुये उपयोग को देखते हुये मैं इनकी कर दर को 31 मार्च, 1998 तक 12 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ।



176. फोटोग्राफिक कैमरा, इनके पुर्जे, लैन्स और प्लेट वर्तमान में 12 प्रतिशत से कर योग्य हैं एवं फोटोग्राफी फ़िल्म, कागज और कपड़ा, प्रिन्ट, एलबम, रसायन एवं एक्स-रे फ़िल्म 6 प्रतिशत से कर योग्य हैं। इन सभी की कर दर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

177. ऑडियो एवं वीडियो कैसेट पर वर्तमान में कर दर 10 प्रतिशत है, इस व्यवसाय तथा संचार तकनीक व मनोरजनन को बढ़ावा देने तथा बेहतर कर अनुपालना के लिए मैं अब इस दर को घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

178. उत्तर क्षेत्र के राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सामान की दर 8 प्रतिशत किया जाना वांछनीय है। अतः मैं इलेक्ट्रॉनिक टाईपराईटर, पेजर, टेलीफोन, फैक्स, फोटोकॉपियर, पीबीएक्स सिस्टम इत्यादि की कर दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। इस सहमति के अनुरूप ही मैं दो पहिया वाहनों को



छोड़कर शेष सभी प्रकार के मोटर वाहनों की बिक्री कर दर को भी बढ़ा कर 12 प्रतिशत करना प्रस्तावित कर रहा हूँ। उत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों द्वारा इस सन्दर्भ में लिए जाने वाले निर्णयों के आधार पर अन्य मामलों में भी कर दरों की समीक्षा की जायेगी।

179. गत बजट में प्रायोगिक तौर पर हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर, बॉलबियरिंग तथा बिजली के कुछ सामान आदि की कर दर में 31 मार्च, 1997 तक 50 प्रतिशत की कमी की गई थी। इसके फलस्वरूप प्राप्त राजस्व आय का विश्लेषण करने के पश्चात् अब मैं केवल बॉलबियरिंग तथा हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर के लिए यह सुविधा 31 मार्च, 1998 तक बढ़ाना प्रस्तावित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इससे व्यापार में वृद्धि के साथ साथ राज्य के राजस्व में भी अभिवृद्धि होगी।

180. दो वर्ष पूर्व लोहे व इस्पात के हार्डवेयर, वैलिंग इलैक्ट्रोड व वैलिंग रॉड पर कर दर कम करके 6 प्रतिशत की गई थी। इसी क्रम में



अब मेरा प्रस्ताव है कि सभी प्रकार के हार्डवेयर तथा वैलिंग इलैक्ट्रोड व वैलिंग रॉड के लिए समान कर दर की व्यवस्था लागू की जावे। अतः मैं लोहा तथा इस्पात के हार्डवेयर, वैलिंग इलैक्ट्रोड व वैलिंग रॉड, जो 6 प्रतिशत से कर योग्य हैं एवं अन्य हार्डवेयर जो 10 प्रतिशत से कर योग्य हैं, के लिए अब एक समान कर दर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

181. इसी प्रकार माप-तौल के बाट, जन सामान्य के रोजमरा के उपयोग में आने वाली लोहे की कोठी तथा सन्दूक की वर्तमान कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ।

182. खुली तथा पैकेट की चाय की कर दर में भिन्नता (क्रमशः 4 एवं 10 प्रतिशत) होने से न केवल व्यापार जगत को कठिनाई हो रही है अपितु अनावश्यक विवाद भी बढ़ रहा है। अतः मैं खुली एवं पैकेट की चाय की एक समान कर दर 8 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।



183. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क संदेय नहीं होने वाले विनिर्मित माल पर राज्य सरकार करारोपण करने को स्वतन्त्र है। केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दरों में कमी अथवा शुल्क से मुक्ति प्रदान करने से राज्यों को दिये जाने वाले भाग में कमी होती है। ग्रे-क्लॉथ पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देय नहीं होने से यह वर्तमान में 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। इस उद्योग की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए मैं आज से पूर्व की अवधि के लिए ग्रे-क्लॉथ को भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ तथा इस पर अब कर दर भी 4 प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। यह घटी हुई दर केवल भविष्य में होने वाले संव्यवहारों पर ही लागू होगी।

184. वर्ष 1990 से कतिपय वस्तुओं की लीज पर करारोपण की व्यवस्था की गई थी। इसका विस्तार करते हुए अब मैं रेल्वे वैगन तथा कन्टेनर की लीज पर 4 प्रतिशत करारोपण का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त पूर्व

में टैन्ट, कनात व इनके साथ सजावट में काम आने वाली वस्तुओं के संबंध में एक मुश्त फीस जमा कराने के विकल्प को समाप्त करना एवं इनपर वर्तमान दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत लीजिंग कर लगाना प्रस्तावित कर रहा हूँ।

185. विभागीय कर संकलन केन्द्रों पर कैजुअल कमोडिटी पर संदेय सम्पूर्ण कर जमा कराने वाले व्यवहारियों को भी वर्तमान में त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस वर्ग को राहत प्रदान करने की दृष्टि से मैं विद्यमान व्यवस्था को समाप्त करते हुए, इन व्यवहारियों को मात्र वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ।

186. राज्य में तिलहन ही एक मात्र अंतिम बिन्दु पर कर देय वस्तु है। परिणामस्वरूप इसके क्रय-विक्रय संव्यवहारों में घोषणा पत्रों की आवश्यकता होती है। किसानों और व्यवहारियों को इससे होने वाली कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से मैं तिलहन को भी प्रथम बिन्दु पर कर देय रखना प्रस्तावित करता हूँ।

187. अब मैं व्यवहारियों को घोषणा पत्र देने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से घोषणा पत्र के लिए एक वर्ष में 10 लाख रुपये की सीमा को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण वर्ष के लिए एक ही व्यवहारी से क्रय किये गये माल हेतु एक ही घोषणा पत्र दिये जाने की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

188. राज्य विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान टैक्स ऑन लग्जरीज़ (इन होटल्स् एण्ड लॉजिंग हाउसेज़) एक्ट, 1990 को कतिपय संशोधनों के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सहमति हाल ही में प्रदान की गयी है। सहमति के अनुसार 12 सौ रुपये एवं इससे अधिक प्रतिदिन प्रतिकक्ष प्रभार वाले होटलों एवं लॉजिंग्स में उपलब्ध विलासों पर 10 प्रतिशत की दर से विलास कर लागू किया जाना प्रस्तावित है।

189. राज्य में कतिपय ऐसे बड़े व्यवहारी हैं जिनके द्वारा की जाने वाली बिक्री पर राज्य को बिक्री कर प्राप्त नहीं होता है। राज्य के विकास हेतु



वित्तीय स्त्रोतों के जुटाने में ऐसे बड़े व्यवहारियों की सक्रिय सहभागिता भी अपेक्षित है। अतः इन व्यवहारियों पर टर्नओवर टैक्स लगाना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मनोरजंन कर :

190. मनोरजंन कर से अर्जित राजस्व में से वर्तमान में केवल 60 नगरपालिकाओं को ही इसका अंशदान मिल रहा है जबकि राज्य की कुल 182 नगरपालिकाओं में से 122 इससे पूर्णतया वन्चित रही है। इनमें से अधिकांश नगरपालिकाओं में अब सिनेमाघर बन गये हैं। नगरपालिकाओं को विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं वर्तमान में अंशदान प्राप्त कर रही नगरपालिकाओं की इस राशि को तीन गुना बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। जिन नगरपालिकाओं को अंशदान नहीं मिल रहा है, उनके क्षेत्र से वर्तमान में प्राप्त हो रही मनोरजंन कर राशि का 25 प्रतिशत भाग प्रथम चरण में उन्हें दिया जाना प्रस्तावित है। सरकार यह अंशभाग



उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए अगले 4 वर्षों में शेष मनोरजनन कर राशि सभी सम्बन्धित नगरपालिकाओं को दे देगी।

मुद्रांक एवं पंजीकरण :

191. राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क की दरों निर्धारित है। परन्तु यह अनुभव किया गया है कि कुछ दस्तावेजों पर शुल्क की दरों के विभिन्न स्लैबों के कारण गणनात्मक कठिनाइयों के अलावा मुद्रांक शुल्क के अपवर्चन की सम्भावना भी रहती है। अतः मुद्रांक दरों को युक्तिसंगत बनाते हुए उनका सरलीकरण कर आम आदमी को राहत पहुँचाने तथा मुद्रांक शुल्क के अपवर्चन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ऐसे दस्तावेजों पर लागू शुल्क की दरों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

192. इन संशोधनों से कम्पनियों आदि द्वारा निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेजों पर शुल्क की दरों में मामूली वृद्धि होगी परन्तु कृषकों और आम



आदमी पर कर का भार नहीं बढ़ेगा ।

• 193. अचल सम्पति के हस्तान्तरण-पत्र पर शुल्क की दर यथावत 10 प्रतिशत रखते हुए, चल सम्पति के हस्तान्तरण पत्रों पर शुल्क की दर 10 प्रतिशत से घटाकर केवल आधा प्रतिशत करना प्रस्तावित है ।

194. भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अन्तर्गत ऐसे दस्तावेजों का उल्लेख है जिनका पंजीकरण कराना अनिवार्य है । किन्तु व्यवहार में अनेक व्यक्ति पंजीकरण नहीं करवाते हैं एवं गलत वर्गीकरण के आधार पर भी मुद्रांक शुल्क का अपवंचन होता है । इससे न केवल कानून के प्रावधानों की अवहेलना होती है अपितु राजस्व प्राप्तियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अतः मुद्रांक शुल्क के अपवंचन को रोकने एवं कानून की पालना सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान मुद्रांक नियम 1955 में संशोधन करते हुए नया नियम 66 से जोड़ा जाना एवं नियम 68 में संशोधन प्रस्तावित है । इन नये प्रावधानों से ऐसे प्रकरणों में पंजीकरण न करवाने की जानकारी प्राप्त होने पर



सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देकर मुद्रांक शुल्क की वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।

भूमि एवं भवन कर :

195. राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 1 अप्रैल, 1973 से राज्य में प्रभावी है जिसके अन्तर्गत भूमि एवं भवन कर हेतु मूल्यांकन आधार की अवधि 31 मार्च, 1997 को समाप्त हो रही है। अतः विधिक आवश्यकता के अनुसरण में अब 1 अप्रैल, 1997 के बाजार मूल्य पर नयी दरों से कर निर्धारण किया जाना कानूनन अपेक्षित है।

196. सरकार उपरोक्त तिथि के पूर्व समुचित दरों की घोषणा करेगी जिसके अनुसार भविष्य में कर देय होगा।

197. यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिन करदाताओं द्वारा 31 मार्च, 1997 तक एक मुश्त (one time) कर भुगतान कर दिया जायेगा उनका पुनः



कर निर्धारण नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लम्बित मामलों में 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व की अवधि का कर निर्धारण तत्समय लागू मूल्यांकन दरों पर ही किया जायेगा।

मोटर वाहन कर :

198. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मोटर वाहनों पर कर राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 के द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए निर्धारित एक निश्चित राशि (fixed amount) के रूप में आरोपित किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, सस्ते वाहनों पर भी उतना ही कर लगता है जितना कि ऊँची कीमत वाले विलासिता वाहनों पर। यह सामयिक नहीं है। अतः कर भार में दृष्टिगत इस असमानता को दूर करने और कर के ढाँचे को सरल एवं प्रगतिशील बनाने की दृष्टि से, मैं परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों की वर्तमान कर व्यवस्था को बदल कर, मूल्य आधारित कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।



इससे साधारण वाहनों पर, अधिक कीमत वाले वाहनों की तुलना में कर भार कम रहेगा और साथ ही कर की दरों में परिवर्तन हेतु अधिनियम में बार-बार संशोधन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी ।

199. इस सन्दर्भ में मैं उक्त अधिनियम की अनुसूची और अनुसूची-ए को हटाये जाने का प्रस्ताव करता हूँ । साथ ही, मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर पर वर्तमान में लागू अधिभार (सरचार्ज) को हटाये जाने का भी प्रस्ताव करता हूँ । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि नई व्यवस्था में साधारण वाहनों, जैसे कि स्कूटर, गैर वातानुकूलित कार आदि पर कर के भार में वृद्धि नगण्य होगी । अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों अथवा अस्थाई अनुज्ञापत्रों पर चलने वाले वाहनों पर करारोपण की व्यवस्था वर्तमान पद्धति के अनुसार ही रहेगी । कर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंजिली वाहनों की कार्योत्तर कर निर्धारिण व्यवस्था को समाप्त किया जाना भी प्रस्तावित है ।

200. सन् 1951 से वाहनों की संख्या एवं कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, लेकिन वाहनों के विक्रेताओं एवं निर्माताओं द्वारा दी जा रही कर की दर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः विक्रेताओं एवं निर्माताओं पर लग रहे कर को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से ट्रेड सर्टिफिकेट पर कर की दरों में वृद्धि प्रस्तावित है।

201. मोटर वाहनों पर करारोपण की प्रस्तावित यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल, 1997 से लागू की जायेगी।



भाग—III

202. वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमान :

- (i) वर्ष 1996-97 के अनुमानों में बजटीय घाटा 139 करोड़ 9 लाख रुपये का आंका गया था।
- (ii) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय अपरिहार्य व्ययों यथा राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दस प्रतिशत की अन्तरिम राहत की तीसरी किश्त का चुकारा, बढ़ी हुई दरों पर बोनस का चुकारा, ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु गणना में 97 प्रतिशत महंगाई भत्ते को सम्मिलित कर चुकारा करने, अकाल राहत कार्यों पर अतिरिक्त व्यय एवं वर्ष 1995-96 के प्रारम्भिक घाटे आदि के कारण चालू वित्तीय वर्ष का बजटीय घाटा 821 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना थी, लेकिन सरकार द्वारा किये गये विभिन्न



203. चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना, योजना आयोग द्वारा 3310 करोड़ 49 लाख रुपये की स्वीकृत गई थी, लेकिन उक्त के पेटे चालू वित्तीय वर्ष में 3396 करोड़ 5 लाख रुपये का व्यय प्रावधित किया गया है। इस प्रकार अब राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना 12 हजार 1 सौ करोड़ रुपये से अधिक पोषित होकर समाप्त होगी।

204. वर्ष 1996-97 के मूल अनुमानों में राजस्व घाटा 362 करोड़ 42 लाख रुपये आंका गया था जिसे अब संशोधित अनुमानों में 487 करोड़ 32 लाख रुपये अनुमानित किया गया है। राज्य कर्मचारियों को चुकाये गये अन्तरिम राहत, बोनस, ग्रेच्युटी के भुगतान तथा अन्य अतिरिक्त व्यय के कारण राज्य सरकार के ऊपर 172 करोड़ रुपये का राजस्व खाते पर व्यय का अतिरिक्त भार पड़ा है लेकिन राज्य सरकार द्वारा मितव्यता के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों से संशोधित अनुमानों में यह बढ़ोतरी केवल 124 करोड़ 90 लाख रुपये की ही हुई है।



उपायों एवं कठोर वित्तीय प्रबन्ध के माध्यम से संशोधित अनुमानों में
यह घाटा 381 करोड़ 85 लाख रुपये का ही रहना आंका गया है।

(iii) वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
है :

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	7832 करोड़ 45 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	8319 करोड़ 77 लाख रुपये
3.	राजस्व खाते में घाटा	(-) 487 करोड़ 32 लाख रुपये
4.	पूंजीगत प्राप्तियाँ (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियाँ सहित)	6973 करोड़ 67 लाख रुपये
5.	पूंजीगत व्यय	6436 करोड़ 21 लाख रुपये
6.	पूंजीगत खाते में आधिक्य	(+) 537 करोड़ 46 लाख रुपये
7.	बजटीय अधिशेष	(+) 50 करोड़ 14 लाख रुपये
8.	प्रारम्भिक घाटा	(-) 431 करोड़ 99 लाख रुपये
9.	अन्तिम घाटा	(-) 381 करोड़ 85 लाख रुपये



205. आय-व्ययक अनुमान 1997-98 :

(i) अगले वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

1. राजस्व प्राप्तियाँ	8989 करोड़ 41 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय	9146 करोड़ 92 लाख रुपये
3. राजस्व घाटा (जिसमें से गैर-आयोजना राजस्व अधिशेष)	(-) 157 करोड़ 51 लाख रुपये (+) 16 करोड़ 47 लाख रुपये
4. पूंजीगत प्राप्तियाँ	4269 करोड़ 23 लाख रुपये
5. पूंजीगत व्यय	3761 करोड़ 30 लाख रुपये
6. पूंजीगत खाते में आधिक्य	(+) 507 करोड़ 93 लाख रुपये
7. बजटीय अधिशेष	(+) 350 करोड़ 42 लाख रुपये
8. पिछले वर्ष 1996-97 का अन्तिम घाटा = 1997-98 का प्रारम्भिक घाटा	(-) 381 करोड़ 85 लाख रुपये
9. अन्तिम घाटा	(-) 31 करोड़ 43 लाख रुपये



(iii) समव्य बजटीय स्थिति :

207. वर्ष 1997-98 के अनुमानों में 350 करोड़ 42 लाख रुपये का बजटीय अधिशेष अनुमानित किया गया है। मैं पिछले वर्षों के संचयी घाटे को लगातार आगे नहीं चलाना चाहता हूँ, अतः इस घाटे की वर्ष 1997-98 में ही पूर्ति करना चाहूँगा। मेरे प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 1996-97 में अनुमानित घाटे को पाटने के पश्चात् यह आधिकाय समायोजित होकर शुद्ध 31 करोड़ 43 लाख रुपये के घाटे में बदल जाने का अनुमान है।

208. माननीय सदस्यों को मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि राज्य के बढ़ते हुए ऋण भार के शोधन हेतु एक विशेष कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस विशेष कोष को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्फत केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष इस कोष में राज्य की समेकित निधि से उत्तरोत्तर बढ़ती हुई राशि को डाला जायेगा। सन् 2003 व उसके बाद इस कोष में जमा मूल पर अर्जित ब्याज की राशि



की सहायता से राज्य के ऋण की मूल राशि का भुगतान कर ऋण भार अपेक्षाकृत कम किया जा सकेगा। भविष्य में ऋण सेवा का भार असह्य न बनने देने हेतु ही मैंने अतिरिक्त राजस्व प्राप्तियों के प्रस्ताव रखे हैं। इन प्राप्तियों से अगले वर्ष इस कोष में 86 करोड़ रुपये डाले जाने का प्रस्ताव है।

209. इस प्रकार वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों में छोड़ा गया 31 करोड़ 85 लाख रुपये का घाटा तथा ऋण शोधन हेतु विशेष कोष में निवेश हेतु आवश्यक राशि नये कर प्रस्तावों से होने वाली अनुमानित 118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व प्राप्तियों से पूरित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वर्ष 1997-98 का बजट सन्तुलित कर लिया जायेगा।

लेखानुदान :

210. सुविधा की दृष्टि से मैं सदन के समक्ष फिलहाल अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 माह के व्यय की स्वीकृति हेतु लेखानुदान के लिये प्रस्ताव भी



प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेखानुदान में माँग संख्या 27-पेयजल, माँग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत तथा माँग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण (अनाज क्रय आदि के लिये) हेतु पूरे वर्ष के लिये वांछित राशि की माँग की गई है क्योंकि इन मर्दों में होने वाला सामयिक व्यय वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माहों में होने की सम्भावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता।

211. मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत यह बजट राज्य के सभी वर्गों विशेषकर किसानों, पिछड़े वर्गों व महिलाओं के विकास का माध्यम बनेगा तथा इससे विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन में वृद्धि होगी। मैं इन बजट प्रस्तावों को मय लेखानुदान प्रस्ताव के स्वीकृत करने की सिफारिश के साथ माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

— जय हिन्द —